फैक्टरी और ट्रेड लाइसेंस की स्वीकृति सरल होगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इन्वेस्ट यूपी को और बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके तहत निवेश मित्र, सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा।

ताकि प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को आसानी से क्लियरेंस मिल सके और अधिक से अधिक एमओयू को धरातल पर उतारा जा सके। फैक्टरी और ट्रेड लाइसेंस की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। लैंड यूज परिवर्तन प्रक्रिया का पूरी तरह से धारा-80 के मुताबिक 6 माह के भीतर डिजटलीकरण किया जा रहा है। भूजल

03 माह में मिलेगा विद्युत और जल कनेक्शन

उपयोग सहित विद्युत और जल कनेक्शन की प्रक्रिया को भी तीन माह की समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके साथ ही सिंगल विंडों ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत उद्योग को इनवायरमेंट क्लीयरेंस और गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को भी तीव्र किया जाएगा। साथ ही राज्य जन विश्वास अधिनियम के तहत अपराध मुक्ति का ड्राफ्ट भी 3 माह की अवधि में प्रदान करना है।